झारखण्ड विधान सभा

अल्प सूचित प्रश्नों की सूची

चतुर्थ झारखण्ड विधान-सभा

द्वादश (बजट) सत्र

वर्ग-05

निम्नलिखित अल्प-सूचित प्रश्न, शुक्रवार, 29 पौष, 1939 (श0) / 19 जनवरी, 2018 (ई0) को झारखण्ड विधान-सभा के आदेश-पत्र पर अंकित होंगे :-

क्र0 सं0	विभागों को भेजी गई सां0स0	सदस्य का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गयी तिथि
01	02	03	04	05	06
12.	अ0सू0-13	प्रो0 स्टीफन मरांडी	लापरवाही से उपजी विफलताओं का समाधान।	स्वा0 चि0	12/01/18
13.	अ0सू0-04	श्री योगेन्द्र प्रसाद	मानक दर का निर्धारण।	स्वा0 चि0	10/01/18
14.	अ0सू0-12	डॉ0 इरफान अंसारी	डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई	स्वा0 चि0	12/01/18
15.	अ0सू0-19	प्रो0 स्टीफन मराण्डी	पदाधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई	श्रम नियोजन	14/01/18
16.	अ0सू0-03	श्री राधाकृष्ण किशोर	बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना।	स्वा0 चि0	08/01/18
17.	अ0सू0-06	श्री रवीन्द्रनाथ महतो	चिकित्सकों के लिए प्रशिक्षण	स्वा0 चि0	12/01/18
18.	अ0सू0-05	श्री राज सिन्हा	फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन।	विधि विभाग	12/01/18

क्र0पृ0अ0-

01	02	03	04	05	06
19.	अ0सू0-01	श्री आलमगीर आलम	मुआवजा राशि का भुगतान।	राजस्व निबंधन	14/01/18
20.	अ0सू0-16	श्री नलिन सोरेन	नियमावली बनाना	विधि विभाग	14/01/18
21.	अ0सू0-11	श्री बिरंची नारायण	औषधि केन्द्र खोलना।	स्वा0 चि0	12/01/18
22.	अ0सू0-02	श्री राधाकृष्ण किशोर	पदों का सृजन	स्वा0 चि0	08/01/18
23.	अ0सू0-14	श्री साईमन मरांडी	अनुदान उपलब्ध कराना।	स्वा0 चि0	14/01/18
24.	अ0सू0-09	श्री राज सिन्हा	जाँच कराना	स्वा0 चि0	12/01/18
25.	अ0सू0-21	श्री अमित कुमार	नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करना।	स्वा0 चि0	14/01/18
26.	अ0सू0-07	श्रीमती विमला प्रधान	झारभूमि साईट में सुधार।	राजस्व निबंधन	12/01/18
27.	अ0सू0-08	श्री सुखदेव भगत	स्वास्थ सुविधा में सुधार।	स्वा0 चि0	12/01/18

राँची,
दिनांक- 19 जनवरी,2018

बिनय कुमार सिंह
प्रभारी सचिव
झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

ज्ञाप सं0- 01/2018.......684.........../वि0स0, राँची, दिनांक-16/1/18

प्रति :- झारखण्ड विधान-सभा के माननीय सदस्यगण/ मा0 मुख्यमंत्री/ मा0 मंत्रिगण/ मुख्य सचिव तथा माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं झारखण्ड सरकार के सभी विभागों को सूचनार्थ प्रेषित।

16/01/18

(छोटेलाल दुड़)
अवर सचिव
झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

कृ0पृ030-

ज्ञाप सं0- 01/2018.....684...../वि0स0, राँची, दिनांक-16/1/18

प्रति :- अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव/ आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

16/01/18

अवर सचिव
झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

ज्ञाप सं0- 01/2018.....684...../वि0स0, राँची, दिनांक-16/1/18

प्रति :- कार्यवाही शाखा, वेबसाईट शाखा, ऑन लाईन शाखा, प्रश्न शाखा एवं आश्वासन शाखा को सूचनार्थ प्रेषित।

16/01/18

अवर सचिव
झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

16.01.18

श्री स्टीफन मराण्डी, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 19.01.18 को सदन में पूछा जाने वाला अल्प सूचित
<u>प्रश्न सं0–13 का उत्तर प्रतिवेदन।</u>

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री स्टीफन मराण्डी, मा०स०वि०स०, झारखण्ड, राँची।	श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी, माननीय, मंत्री, स्वा० चि०शि० एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची।
1. क्या यह बात सही है, कि झारखण्ड सरकार द्वारा नेशनल हेल्थ मिशन के तहत केन्द्र से विमुक्त पहली किस्त की राशि का इस्तेमाल नहीं करने के कारण तीन वर्षों यानि 2014–15 से 2016–17 मे राज्य को केन्द्र से मिलने वाली 978 करोड़ रूपये से वंचित होना पड़ा है ;	अस्वीकारात्मक। वित्तीय वर्ष, 2014–15, 2015–16 एवं 2016–17 में क्रमशः केन्द्र के द्वारा कर्णांकित राशि रू0 510.525, 444.04, 438.67 करोड़ रूपये के विरूद्ध राशि रू0 340.44, 372.66, 352.82 करोड़ रूपये प्राप्त की गई है। इस प्रकार वित्तीय वर्ष, 2014–15 से 2016–17 तक केन्द्र सरकार द्वारा कुल कर्णांकित राशि रू0 1393.235 करोड़ के विरूद्ध राशि रू0 1065.92 करोड़ राज्य को प्राप्त हुआ है।
2. क्या यह बात सही है कि केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने मुख्यमंत्री को लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होने पर सिर्फ इस वर्ष 1100 करोड़ रूपये की प्रेषित प्रोजेक्ट इम्पलिटेशन प्रोजेक्ट पर इस वर्ष 77 करोड़ रूपये की एमवाइडेबल (Avoidable Penalty) के भागीदर होने की बात है ,	अस्वीकारात्मक।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राज्य हित में घोर लापरवाही से उपजी विफलताओं के समाधान का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	लागू नहीं।

झारखण्ड सरकार
<u>स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग</u>

ज्ञापांक–21 / वि0स0–07–01 / 2018 04 (21) स्वा0 / राँची / दिनांक– 18-01-2018
प्रतिलिपि–उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, को उनके ज्ञाप सं0–295 / वि0स0 दिनांक 12.01.18 के आलोक में 200 प्रतियों में सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

(13)

श्री योगेन्द्र प्रसाद, माननीय सदस्य, झारखण्ड विधान सभा द्वारा दिनांक– 19-01-2018 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या –अ०सू०–04 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1-	क्या यह बात सही है कि राज्य के सभी जिलों में गैर सरकारी पैथोलॉजी जाँच केन्द्र संचालित किए जा रहें है एवं जाँच के एवज में इन केन्द्रो द्वारा मरीजों से अनियमित तरीके से मनमाना शुल्क लिया जा रहा है ;	अस्वीकारात्मक। मनमाना शुल्क वसूलने से संबंधित मामला संज्ञान में नहीं है। गैर सरकारी पैथोलॉजी जाँच केन्द्र में भिन्न भिन्न जाँच के लिए शुल्क का निर्धारण सरकार के स्तर से नहीं किया जाता है।
2-	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार सभी गैर सरकारी पैथोलॉजी जाँच केन्द्रों में सरकारी मानक दर निर्धारित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	स्वास्थ्य विभागीय संकल्प संख्या 1028 (6) दिनांक– 23.11.2015 के द्वारा झारखण्ड राज्य के बी०पी०एल० परिवारों एवं 72 हजार तक वार्षिक आय वाले परिवारों के सदस्यों को निःशुल्क डायग्नोस्टिक जाँच (पैथोलॉजी एवं रेडियोलॉजी) की सुविधा हेतु मुख्यमंत्री निःशुल्क डायग्नोस्टिक जाँच योजना की स्वीकृति प्रदान की गई है। संकल्प के अनुसार पी०पी०पी० मोड पर संचालित मेडॉल/एस०आर०एल० लैब राज्य के सभी सदर अस्पताल में कार्यशील है। बी०पी०एल श्रेणी के मरीज को निःशुल्क पैथोलॉजी की सुविधा प्रदान की जा रही है तथा अन्य से सी०जी०एच०एस० दर के अनुरूप शुल्क, पी०पी०पी० मोड पर संचालित लैब के द्वारा ली जाती है। पी०पी०पी० मोड पर संचालित लैब के संबंध में मनमाना शुल्क वसूल करने की शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

झारखंड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं० : 15/वि०सभा०–07-14/18-53(15) राँची, दिनांक–18-1-18
प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप संख्या प्र०– 156 दिनांक– 10-01-18 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18.1.18

सरकार के उप सचिव

Thakur

(14)

डॉ0 इरफान अंसारी, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक 19.01.2018 को सदन में पूछा जाने वाला
अल्प सूचित प्रश्न सं0–अ0सू0–12 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
डॉ0 इरफान अंसारी, मा0स0वि0स0, झारखण्ड, राँची।	श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी, माननीय, मंत्री, स्वा0 चि0शि0 एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची।
1. क्या यह बात सही है कि जामताड़ा जिले के प्रखण्ड मुख्यालयों में स्थित नारायणपुर, करमाटांड, जामताड़ा, बगरूडीह, दक्षिण बहाल, लदना प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (PHC) में पदस्थापित डॉक्टर केवल मरीजों को धनबाद या बंगाल इलाज के लिए रेफर करते हैं, जहाँ से इन पदस्थापित डॉक्टर्स का अपना निजी संबंध है ;	अस्वीकारात्मक। **नारायणपुर**–सी0एच0सी0 है, जहाँ 24x7 स्वास्थ्य सेवा प्रदान की जा रही है। उक्त संस्थान में तीन चिकित्सक पदस्थापित एवं कार्यरत हैं। **करमाटाँड़**– प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है। चिकित्सा पदाधिकारी का पद रिक्त है। स्थानीय स्तर से डॉ0 संजय पासवान की प्रतिनियुक्ति की गई है। संस्थान में 24x7 स्वास्थ्य सेवा प्रदान की जा रही है। **जामताड़ा**– सदर मुख्यालय में सदर अस्पताल के साथ–साथ बाजार स्थित पुराने भवन में अस्थायी उपचार केन्द्र संचालित है। सदर अस्पताल में 08 चिकित्सक पदस्थापित हैं एवं 04 चिकित्सक प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं। सदर अस्पताल, जामताड़ा में 24x7 स्वास्थ्य सेवा प्रदान की जा रही है। अस्थायी उपचार केन्द्र में 02 चिकित्सक कार्यरत हैं, जहाँ वाह्य विभाग कार्य कर रहा है। **बगरूडीह**– प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है। एक चिकित्सक पदस्थापित है। संस्थान में 24x7 स्वास्थ्य सेवा प्रदान की जा रही है। **दक्षिण बहाल**– प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है, जो सदर अस्पताल, जामताड़ा से सिर्फ 02 कि0मी0 की दूरी पर है। उक्त संस्थान में 02 महिला चिकित्सक पदस्थापित है, जिन्हें सदर अस्पताल में प्रतिनियुक्ति कर कार्य लिया जा रहा है। **लादना**– प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है। एक चिकित्सक पदस्थापित हैं, जिनकी प्रतिनियुक्ति सदर अस्पताल, जामताड़ा में है। सप्ताह में एक दिन चिकित्सक जाते हैं। उपरोक्त संस्थानों में चिकित्सा हेतु आने वाले मरीजों का समुचित इलाज किया जाता है। वैसे मरीज को पी0एम0सी0एच0, धनबाद रेफर किया जाता है, जिनकी चिकित्सा संस्थान में नहीं हो सकती है।
2. क्या यह बात सही है कि इन अस्पतालों में कार्यरत डॉक्टरों द्वारा उचित इलाज नहीं करने से गरीब मरीजों को इलाज से वंचित रहना पड़ता है ;	अस्वीकारात्मक। संस्थान के चिकित्सकों द्वारा चिकित्सा हेतु आने वाले मरीजों का समुचित इलाज किया जाता है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार एक टीम गठन कर इन सारे आरोपों की जाँच कराकर ऐसे लापरवाह डॉक्टरों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	अस्वीकारात्मक।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञापांक–15/ वि0स0–07–07/2018 -50(15) स्वा0/राँची/दिनांक– 18-1-18

प्रतिलिपि–उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, को उनके ज्ञाप सं0 297 दिनांक 12.01.18 के आलोक में 200 प्रतियों में सूचनार्थ प्रेषित।

18.1.18

सरकार के उप सचिव।

96/18.1.18 (15)

श्री प्रो0 स्टीफन मराण्डी, माननीय सदस्य, विधान–सभा द्वारा दिनांक–19.01.2018 को पूछा जानेवाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या– अ0सू0–18 का उत्तर सामग्री :–

क्र.सं.	प्रश्नकर्त्ता श्री प्रो0 स्टीफन मराण्डी, माननीय सदस्य, विधान–सभा।	उत्तरदाता श्री राज पालिवार, माननीय मंत्री, श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकारी
1.	क्या यह बात सही है कि केन्द्र सरकार द्वारा झारखण्ड के युवक–युवतियों को प्रशिक्षण दिये जाने हेतु झारखण्ड के नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग को 15 करोड़ रूपये का आवंटन मिला,	स्वीकारात्मक है।
2.	यह क्या बात सही है कि वित्तीय वर्ष 2012–13 से लेकर अबतक लघु अवधि के प्रशिक्षण के नाम पर 11 करोड़ रूपये के फर्जी भुगतान भी उजागर हुआ,	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है।
3	क्या यह बात सही है कि प्रारम्भिक विभागीय जाँच में केश बुक में गड़बड़ी पाये जाने पर माननीय मंत्री ने 70 वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोभाईडर के 19 करोड़ के भुगतान पर रोक लगाते हुए जिलों के उपायुक्तों द्वारा जाँच कराने का आदेश दिया जिसपर अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गयी,	वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोभाईडर की राज्यस्तरीय पदाधिकारियों से जाँच कराने के लिए कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग को संचिका पृष्ठांकित की गई है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार दोषी संस्थाओं एवं विभागीय पदाधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	भी0टी0पी0 के कार्यक्रम के अन्तर्गत उत्थान इंस्टीच्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, राँची को फर्जी तरीके से छात्रों को प्रशिक्षण दिलाकर लगभग 13 लाख रूपये का भुगतान प्राप्त कर लिया गया है। जिसके संबंध में उक्त संस्था पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। फर्जी भुगतान की राशि की वसूली के लिए Certificate Case भी दर्ज किया गया है। भी0टी0पी0 कार्यक्रम के अन्तर्गत हुए अनियमितताओं के लिए विभाग के दो पदाधिकारियों पर डोरण्डा थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई एवं साथ ही साथ विभागीय कार्रवाई भी चल रही है।

18.1.18
सरकार के उप सचिव
श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग,
झारखण्ड, राँची।

झारखण्ड सरकार
श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग।

ज्ञापांक:–5 / प्रशि0(वि0स0)–09 / 2018 96 राँची, दिनांक: 18.01.18

प्रतिलिपि:–अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा ज्ञाप सं0 प्र0 427 वि0स0 दिनांक–14.01.2018 के प्रसंग में 200 चक्रचालित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

18.1.18
सरकार के उप सचिव
श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग,
झारखण्ड, राँची।

(16)

श्री राधाकृष्ण किशोर, मा0 स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक 19.01.2018 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या सं० –03 का उत्तर सामग्री।

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड प्रदेश के तीन चिकित्सा महाविद्यालय क्रमशः रिम्स, पी०एम०सी०एच० धनबाद तथा एम०जी०एम जमशेदपुर में सिनियर रेजिडेन्ट से प्रोफेसर तक के पदों को मिलाकर कुल 1497 पद स्वीकृत है, जिसके विरुद्ध दिसम्बर, 2017 तक 992 पद रिक्त है।	आंशिक स्वीकारात्मक। रिम्स राँची, पी०एम०सी०एच, धनबाद तथा एम०जी०एम० जमशेदपुर में सिनियर रेजिडेंट से प्रोफेसर तक कुल 1114 पद स्वीकृत है, जिसके विरुद्ध दिस्मबर, 2017 तक 578 पद रिक्त है।
2.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य के सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र अनुमंडलीय एवं जिलास्तरीय अस्पतालों में चिकित्सकों की कुल 2830 स्वीकृत पदों के विरुद्ध दिसम्बर, 2017 तक कुल 1280 पद रिक्त पढ़े है।	आंशिक रुप से स्वीकारात्मक। झारखण्ड राज्य में चिकित्सक के कुल – 2112 एवं विशेषज्ञ चिकित्सक के कुल – 994 पद सृजित है। सम्प्रति चिकित्सक एवं विशेषज्ञ चिकित्सक के कुल –1275 पद रिक्त है। झारखण्ड लोक सेवा आयोग को विशेषज्ञ चिकित्सक एवं दन्त चिकित्सक के पद पर नियुक्ति हेतु अधियाचना भेजी गयी है अनुशंसा प्राप्त होने पर नियुक्ति की कार्रवाई की जाएगी।
3.	क्या यह बात सही है कि चिकित्सकों की घोर कमी के कारण झारखण्ड राज्य की स्वास्थ्य सेवा पूर्णतः चरमराई हुई है।	अस्वीकारात्मक। झारखण्ड सरकार अधीन विभिन्न स्वास्थ्य केन्द्रों एवं अस्पतालों में पदस्थापित चिकित्सक एवं विशेषज्ञ चिकित्सक, पारामेडिकल कर्मी तथा नर्सों द्वारा समुचित स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध करायी जा रही है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो, झारखण्ड में बेहतर स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने हेतु सरकार कौन सी कार्रवाई करना चाहती है ?	नियुक्ति की कार्रवाई की जा रही है।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं0– 3/वि0स0–03–02/2018 47 (3) दि. 18.01.18

राँची, दिनांक:

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं0 91/वि0स0 दिनांक 18.01.2018 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव

(17)

श्री रबीन्द्रनाथ महतो, माननीय सदस्य, झारखण्ड विधान सभा द्वारा दिनांक– 19-01-2018 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या –अ0सू0–06 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1-	क्या यह बात सही है कि राज्य के सभी जिलों में टास्क फोर्स का गठन कर अविलम्ब झोला छाप डॉक्टरों को चिन्हित करते हुए इनके विरूद्ध विधि सम्मत कार्रवाई (PIR) दर्ज कराकर उनका निजी क्लीनिक बंद कराने का आदेश विभाग द्वारा दिया गया है ;	स्वीकारात्मक। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली द्वारा राज्य में "झोला छाप" डॉक्टरों द्वारा खुलेआम प्रैक्टिस कर मरीजों की जान से खेलवाड़ करने से संबंधित मामले को संज्ञान में लेते हुए इस पर प्रभावी कार्रवाई का निदेश दिया गया है। उक्त पत्र के आलोक में प्रभावी कार्रवाई हेतु पत्र निर्गत किया जा चुका है।
2-	क्या यह बात सही है कि नाला विधान– सभा क्षेत्र गरीब तथा पिछड़ी बाहुल्य ग्रामीण क्षेत्र है और लोग अस्वस्थ होने से तुरन्त मरीज को अस्पताल ले जाने में असमर्थ होते है और तत्काल झोला छाप ग्रामीण चिकित्सक द्वारा चिकित्सा कराते है ;	झोला छाप डॉक्टर द्वारा चिकित्सा उपलब्ध कराना अपराधिक कृत्य है जिसे रोकना विधि सम्मत है।
3-	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार ग्रामीण चिकित्सकों के लिए प्रशिक्षण की वैकल्पीक व्यवस्था कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/ स्वास्थ्य उपकेन्द्र स्तर पर सामान्य एवं आयुष पद्धति के चिकित्सकों एवं पारामेडिकल कर्मी के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराया जा रहा है।

झारखंड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं0 : 15/वि0स0–07-13/18 -47 (15) रॉंची, दिनांक– 18-1-18

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, रॉंची को उनके ज्ञाप संख्या प्र0– 293 दिनांक– 12-01-18 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18.01.18

सरकार के उप सचिव

Tiwari

(18)

श्री राज सिन्हा, माननीय सदस्य, विधान सभा, झारखण्ड द्वारा दिनांक–19.01.2018 को सदन में पूछा जानेवाले अल्प–सूचित प्रश्न संख्या– 05 का उत्तर सामग्री।

	प्रश्न		उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि कम उम्र की बच्चियों, लड़कियों के खिलाफ यौन शोषण की घटनाएं बढ़ी है,	:–	आंशिक स्वीकारात्मक। पोक्सो एक्ट (Pocso Act) के तहत वर्ष 2014 में 318 काण्ड, वर्ष 2015 में 469 काण्ड, वर्ष 2016 मे 588 काण्ड एवं वर्ष 2017 में माह, नवम्बर तक 539 काण्ड प्रतिवेदित हुए हैं।
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त मामले में अधिकांशत: परिवारिक सदस्यों, पड़ोसियों, अधेड़ उम्र के लोगों की सहभागिता के मामले सामने आ रहे है,	:–	आंशिक स्वीकारात्मक। परिवारिक सदस्यों, पड़ोसियों, अधेड़ उम्र के लोगों की सहभागिता के अतिरिक्त अनजान व्यक्तियों के द्वारा भी इस तरह की घटनाएँ कारित किए जाने की बात प्रकाश में आई है।
3.	क्या यह बात सही है कि उक्त मामले में भुक्तभोगियों को त्वरित न्याय प्रदान करने को राज्यभर में फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित कर मामले के त्वरित निष्पादन की योजना सरकार के विचाराधीन है,	:–	अस्वीकारात्मक। विधि विभागीय अधिसूचना संख्या–बी01/विधि (कोर्ट गठन)–280/2013–161/जे0, दिनांक–27.01.2014 के द्वारा लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा–28 के अंतर्गत झारखंड राज्य के सभी न्यायमंडलों के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–1 एवं न्यायायुक्त–1 राँची के न्यायालय को विशेष न्यायालय पदाभिहित (Designate) किया जा चुका है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डो के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार इस दिशा में समुचित कदम उठाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नही तो क्यों ?	:–	कंडिका से (3) के उत्तर से स्वत: स्पष्ट है।

झारखण्ड सरकार,
विधि विभाग,

ज्ञापांक–ए0/विधि–(वि0स0प्र0)–01/2018– 114 /जे0, राँची, दिनांक– 17 जनवरी, 2018

प्रतिलिपि–उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को ज्ञाप सं0–300/वि0स0, दिनांक–12.01.2018 के के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियो के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

17.1

(प्रवास कुमार सिंह)
प्रधान सचिव –सह–विधि परामर्शी।

(19)

श्री आलमगीर आलम, माननीय स.वि.स. द्वारा दिनांक–19.01.2018 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ०सू० 01 का प्रश्नोत्तर :–

	प्रश्न	उत्तर
	श्री आलमगीर आलम, माननीय स.वि.स.	माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1.	क्या यह बात सही है कि पाकुड़ जिला के निबंधन कार्यालय के विक्रय पत्रों के अनुसार मौजा पियादापुर, चकबलरामपुर एवं सुन्दरपुर में भूमि का खरीद–विक्रय आवासीय भूमि के रूप में किया जा रहा है जिसका दर प्रति डिसमिल क्रमशः 37,418/रू0, 59382/रू0 एवं 28,082/रू0 है,	पाकुड़ बाईपास सड़क निर्माण के लिए विक्रयशील मौजा–पियादापुर, चकबलरामपुर एवं सुन्दरपुर का विगत तीन (03) वर्षों का विक्रय दर प्राप्त किया गया है जिसके अनुसार भूमि का विक्रय व्यवसायिक, आवासीय एवं कृषि हेतु किया गया है। मौजा–पियादापुर, चकबलरामपुर एवं सुन्दरपुर में विगत तीन (03) वर्षों में आवासीय भूमि हेतु विक्रय की गई भूमि का औसत दर प्रति डिसमिल क्रमशः 37,418/रू0, 59382/रू0 एवं 28,082/रू0 है।
2.	क्या यह बात सही है कि भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 26 (3) के अनुसार उस क्षेत्र में प्रचलित बाजार मूल्य के आधार पर भूमि के बाजार मूल्य को पुनरीक्षित एवं अद्यतन करने का प्रावधान है,	स्वीकारात्मक।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार खण्ड 1 में वर्णित मौजा के रैयतों को अधिग्रहित भूमि के मुआवजा राशि का भूगतान उस क्षेत्र में प्रचलित बाजार मूल्य के आधार पर कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों?	राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक–871, दिनांक–11.12.17 द्वारा मुआवजा का भुगतान RFCTLARR Act, 2013 की धारा 26 के आलोक में करने हेतु उपायुक्त, पाकुड़ को निदेशित किया गया है।

झारखण्ड सरकार

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांक–08ए./भू.अ.नि.वि.स. (अ.सू.)–08/2018 26/नि.रा., राँची, दिनांक–18-01-18

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञाप सं. 93/वि.स., दिनांक–08.01.2018 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/ मा0 मंत्री के आप्त सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची/विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव
18.1.18

Comp/G/D/All folder/Vidhan Sabha-17m

(20)

श्री नलिन सोरेन, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक 19.01.2018 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या ग्राम–16 का उत्तर ।

प्रश्न	उत्तर
1.	2.
(1) क्या यह बात सही है कि पिछले साल चार व पाँच फरवरी को केन्द्रीय पंचायती राज मंत्रालय ने दिल्ली में केन्द्रीय कानून पंचायतें के उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996 पर एक कार्यशाला आयोजित की गयी थी;	स्वीकारात्मक ।
(2) क्या यह बात सही है कि उपरोक्त कार्यशाला के निर्णय के आलोक में 16 जून 2016 को केन्द्रीय पंचायती राज मंत्रालय ने झारखण्ड सरकार पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव को पेसा पर नियमावली बनाने के लिए निर्देशित किया था ;	स्वीकारात्मक ।
(3) क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार द्वारा अब तक पेसा के अनुरूप नियमावली बनाने का केन्द्रीय सरकार का निर्देश ठंढे बस्ते में डाल दिया है ;	अस्वीकारात्मक ।
(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार केन्द्रीय सरकार के पंचायती राज मंत्रालय के निर्देश के आलोक में पेसा नियमावली बनाने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	नियमावली के गठन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है ।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग
(पंचायती राज)

ज्ञापांक– 1स्था (वि0)–12/2018–176–/, राँची, दिनांक–18·01·18

प्रतिलिपि:– 200 अतिरिक्त प्रतियों सहित उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप संख्या 428 दिनांक 14.01.2018 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/1/18
सरकार के अवर सचिव ।

ज्ञापांक– 1स्था (वि0)–12/2018–176–/, राँची, दिनांक–18·01·18

प्रतिलिपि:– संयुक्त सचिव–सह–अपर विधि परामर्शी, विधि (न्याय) विभाग, झारखण्ड, राँची को उनके पत्र संख्या 103 दिनांक 15.01.2018 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

18/1/18
सरकार के अवर सचिव ।

ज्ञापांक– 1स्था (वि0)–12/2018–176–/, राँची, दिनांक–18·01·18

प्रतिलिपि:– माननीय मंत्री, संसदीय कार्य के आप्त सचिव/सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, संसदीय कार्य/ माननीय मंत्री, पंचायती राज, झारखण्ड, राँची के आप्त सचिव को सूचनार्थ समर्पित ।

18/1/18
सरकार के अवर सचिव ।

ज्ञापांक– 1स्था (वि0)–12/2018–176–/, राँची, दिनांक–18·01·18

प्रतिलिपि:– नोडल पदाधिकारी (OASYS), पंचायती राज प्रभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

18/1/18
सरकार के अवर सचिव

(21)

श्री बिरंची नारायण, माननीय सदस्य, झारखण्ड विधान सभा द्वारा दिनांक– 19-01-2018 को पूछा जाने वाला अल्प– सूचित प्रश्न संख्या –अ०सू०–11 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1-	क्या यह बात सही है कि लोगो को सस्ती दर पर दवाऐं उपलब्ध कराने के उद्धेश्य से जिला स्तर पर सदर अस्पतालों में जन औषधि केन्द्र खोला गया है ;	स्वीकारात्मक।
2-	क्या यह बात सही है कि उक्त जन औषधि केन्द्रों से लोगों को आसानी से सस्ते दरों पर दवाओं की आपूर्ति संभव हो पा रहा है ;	अस्वीकारात्मक। सदर अस्पताल में खोले गये अधिकांश जन औषधि केन्द्र सम्प्रति कार्यशील नहीं है तथा इन्हें पुनः कार्यशील करने पर बी०पी०पी०आई से समन्वय किया जा रहा है।
3-	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के लोगो को भी आसानी से सस्ते दर पर दवाऐं उपलब्ध करावाने के उद्धेश्य से सभी प्रखण्डों में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में भी जन औषधि केन्द्र खोलने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के स्तर पर सरकार की ओर से जन औषधि केन्द्र खोलने का कोई कार्यक्रम नहीं है। यदि कोई उद्यमी/संस्था किसी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर जन औषधि केन्द्र स्थापित करना चाहती है तो इस पर गुण दोष के आधार पर निर्णय लिया जायेगा।

झारखंड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं० : 15/वि०सभा०–07-08/18 58(15) राँची, दिनांक– 18/01/18

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप संख्या प्र०– 294 दिनांक– 19-01-18 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18.01.18

सरकार के उप सचिव

Tiwari

(22)

श्री राधाकृष्ण किशोर, माननीय सदस्य, झारखण्ड विधान सभा द्वारा दिनांक– 19-01-2018 को पूछा जाने वाला अल्प– सूचित प्रश्न संख्या –अ0सू0–02 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र००	प्रश्न	उत्तर
1-	क्या यह बात सही है कि महात्मा गाँधी मेमोरियल चिकित्सा महाविद्यालय, जमशेदपुर में वित्त विभाग तथा मंत्रिपरिषद् की सहमति प्राप्त किये बिना वरीय रेजिडेन्ट के 97 पदों एवं चिकित्सा पदाधिकारी के 84 पदों की स्वीकृति मई, 2004 में एक विभागीय अधिसूचना द्वारा दी गई थी ;	स्वीकारात्मक। विभागीय अधिसूचना सं0– 138 (2) दिनांक– 27.05.2004 द्वारा महात्मा गाँधी मेमोरियल चिकित्सा महाविद्यालय, जमशेदपुर में प्राध्यापक के 65, सह प्राध्यापक 117, सहायक प्राध्यापक 154, टयूटर 150, वरीय रेजिडेन्ट के 97, कनीय रेजिडेन्ट 146 पदों एवं चिकित्सा पदाधिकारी के 84 पद स्वीकृत की गई है।
2-	क्या यह बात सही है कि महात्मा गाँधी मेमोरियल चिकित्सा महाविद्यालय, जमशेदपुर में चिकित्सा पदाधिकारी के कुल 08 पद स्वीकृत था, तथा वरीय रेजिडेन्ट का कोई भी पद स्वीकृत नहीं था ;	आंशिक स्वीकारात्मक। राज्य विभाजन के क्रम में शैक्षणिक संवर्ग के वरीय रेजिडेंट के पदों को छोड़कर अन्य सभी पद यथा टयूटर, सहायक प्राध्यापक, सह प्राध्यापक एवं प्राध्यापक के कुल– 73 पद झारखण्ड राज्य को मिले थें, इसके अतिरिक्त चिकित्सा पदाधिकारी के 09 पद भी मिले थें।
3-	क्या यह बात सही है मई, 2004 एक अधिसूचना द्वारा स्वीकृत किये गए पदों के आलोक में मूल स्वीकृत पदों के 03 चिकित्सा पदाधिकारी एवं 42 वरीय रेजिडेन्ट के पदों को संचालित किया गया;	अस्वीकारात्मक।
4-	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो वित्त विभाग और मंत्रिपरिषद् की बगैर स्वीकृति के खण्ड–1 में वर्णित पदों का सृजन तथा खण्ड–III में वर्णित पदों को संचालित करने का क्या औचित्य है ?	माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में दायर CWJC No-420/2001 में दिनांक– 05.03.04 को माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में चिकित्सा शिक्षकों की नितान्त कमी को दूर करने के लिए पदों के सृजन की कार्रवाई की गयी थी। वर्ष 2004 में इन सृजित पदों पर विधिवत रूप से प्रशासी पददर्ग समिति एवं मंत्रीपरिषद की घटनोत्तर स्वीकृति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है

झारखंड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं० : 9/विधायी–06-01/18 – 29(9) राँची, दिनांक– 18/1/18
प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप संख्या प्र०– 92 दिनांक– 08-01-18 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18.1.18
सरकार के अवर सचिव

Thakur

(23)

माननीय स०वि०स० श्री साईमन मरांडी द्वारा दिनांक–19.1.2018 को प्रस्तुत किये जाने वाले अल्प सूचित प्रश्न संख्या–14 के संबंध में।

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री साईमन मरांडी, मा०स०वि०स०, झारखण्ड, राँची।	श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी, माननीय, मंत्री, स्वा० चि०शि० एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची।
1. क्या यह बात सही है कि थेलिसिमिया एक गम्भीर बिमारी है और राज्य के सैकड़ों लोग इस बीमारी से ग्रसित हैं ;	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि थेलिसिमिया बिमारी से ग्रसित मरीजों को सरकार इलाज के लिये कोई सरकारी अनुदान नहीं देती है, जबकि दूसरे कई राज्यों में इस बीमारी में सरकारी अनुदान दी जाती है ;	स्वीकारात्मक। झारखण्ड में थैलिसिमिया रोगी को निःशुल्क बिना Replacement रक्त दिया जाता है। कई राज्यों में उक्त बीमारी को Disability की श्रेणी में डाला गया है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त मरीजों को चिकित्सा के लिये सरकारी अनुदान उपलब्ध कराने की विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना के अन्तर्गत थैलिसिमिया बीमारी के लिए अनुदान देने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है ।

झारखंड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

संचिका संख्या – 13/वि०स०–07–01/2018 41(13) दिनांक– 18-01-18

प्रतिलिपि : उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय के ज्ञापांक संख्या–425/वि०स०, दिनांक–14.01.2018 के आलोक में 200 प्रतियों में सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/- 18.1.18
(फ्लोरेंस तिर्की)
सरकार के अवर सचिव।

(24)

श्री राज सिन्हा, माननीय सदस्य, झारखण्ड विधान सभा द्वारा दिनांक– 19-01-2018 को पूछा जाने वाला अल्प– सूचित प्रश्न संख्या –अ0सू0–09 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्रं०	प्रश्न	उत्तर
1-	क्या यह बात सही है कि राज्य में बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट कानून 2016 लागू हो चुका है ;	स्वीकारात्मक।
2-	क्या यह बात सही है कि है उक्त कानून के प्रावधानों के अनुसार 2016 के बाद खुले सभी तरह के अस्पतालों के अलावा सभी नर्सिंग होम पैथोलॉजी लैब, दवा दुकानों ब्लड बैंक, पशु चिकित्सा संस्थान को भी इस कानून के दायरे में लाया गया है और उनका सर्वे कराया जा चुका है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। उक्त कानून के प्रावधानों के अन्तर्गत अस्पतालों, नर्सिंग होम, पैथोलॉजी लैब, दवा दुकानों तथा ब्लड बैंक को भी इस कानून के दायरे में लाया गया है एवं निबंधित कराया जा रहा है।
3-	क्या यह बात सही है कि सभी अस्पतालों या नर्सिंग होम इसका पालन नहीं कर रहें हैं ;	आंशिक स्वीकारात्मक। सभी अस्पतालों को निबंधित कराने की सतत् प्रक्रिया जारी है।
4-	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इस दिशा में जाँच कराकर समुचित कदम उठाने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपरोक्त कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट कर दिया गया है।

झारखंड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं० : 15/वि0सभा0–07-09/18 59 (15) राँची, दिनांक– 18/01/18

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप संख्या प्र०– 296 दिनांक– 12-01-18 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18.1.18
सरकार के उप सचिव

Tiwari

श्री अमित कुमार, माननीय सदस्य, झारखण्ड विधान सभा द्वारा दिनांक– 19-01-2018 को पूछा जाने वाला अल्प– सूचित प्रश्न संख्या –अ०सू०–21 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1-	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य मेडिकल परिषद द्वारा वर्ष 2006 के Anaesthetic/CT Scan/ USG Technician का प्रशिक्षण दिया गया है ;	अस्वीकारात्मक।
2-	क्या यह बात सही है कि राज्य के विभिन्न सरकारी अस्पतालों में Medical Technicians की भारी कमी है ;	आंशिक अस्वीकारात्मक। विशेषकर बरसात के मौसम में चिकित्सक ज्यादा संवेदनशील एवं तत्पर रहतें हैं।
3-	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार Medical Technicians की कमी दूर कर हेतु नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	Lab Technician की नियुक्ति, प्रोन्नति संबंधी नियमावली पर कतिपय संशोधन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। नियमावली गठन के उपरांत नियमित नियुक्ति की कार्रवाई की जायेगी।

झारखंड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं० : 15/वि०सभा०–07-06/18 • 42(15) राँची, दिनांक– 17/01/18
प्रतिलिपि : उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप संख्या प्र०– 426 दिनांक– 14-01-18 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17.01.18
सरकार के उप सचिव

Tiwari

श्रीमती विमला प्रधान, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–19.01.2018 को पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या –07, प्रश्नोत्तर :–

क्र० सं०	प्रश्न	क्र० सं०	उत्तर
	श्रीमती विमला प्रधान, माननीय स०वि०स०		श्री अमर कुमार बाउरी, माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य के jharbhoomi साईट द्वारा लगान एक रूपये से कम हाने पर लगान रसीद नहीं कटता है;		स्वीकारात्मक। Online लगान भुगतान बैंकिंग प्रणाली से होता है जहाँ एक रूपये से कम संव्यवहार (Transtion) का प्रचलन नहीं है। लगान की राशि एक रूपये से कम रहने की स्थिति में इसे निकटतम एक रूपये करने एवं इसकी वसुली की कार्रवाई सरकार के विचाराधीन है।
2	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य के jharbhoomi साईट पर रजिस्टर–II को अपलोडिंग (Data Uploding) करने के क्रम में बहुत खाता धारियों का ऑनलाईन रिकार्ड लोड नहीं हुआ है;		अस्वीकारात्मक। राज्य के सभी 264 अंचलों के लैण्ड रिकार्ड को झारभूमि के वेबसाईट पर अपलोड किया जा चुका है। प्रत्येक महीने की पहली तारीख से 10 वी तारीख के बीच पोर्टल खोलने की व्यवस्था की गई है जिसमें त्रुटि सुधार का कार्य किया जा रहा है।
3	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य के jharbhoomi साईट पर एक बार दाखिल–खारिज का आवेदन अमान्य होने पर पुनः आवेदन रजिस्टर नहीं हो रहा है ;		अस्वीकारात्मक। आम जनता द्वारा किये गये ऑनलाईन दाखिल–खारिज आवेदन एक बार अमान्य होने पर उसे पुनः रजिस्टर कराया जा सकता है। इसकी सूचना आवेदक को मैसेज के माध्यम से उनके रजिस्टर्ड मोबाईल नं० पर दी जाती है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जनहित में jharbhoomi साईट में अविलंब सुधार करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नही तो क्यों ?		उपर्युक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांक–01/निदे०अ०मि०, वि०स; (अ०सू०)–01/2018 38 /नि०रा०, राँची, दिनांक– 18-01-18

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा को उनके ज्ञाप संख्या–299/वि०स०, दिनांक–12.01.2018 के प्रसंग में उत्तर की 200 प्रति (दो सौ) प्रतियों के साथ / प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/ सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/ मा० मंत्री के आप्त सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची/ विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/01/18

सरकार के उप सचिव।

(27)

श्री सुखदेव भगत, माननीय सदस्य, झारखण्ड विधान सभा द्वारा दिनांक–19–01–2018 को पूछा जाने वाला अल्प– सूचित प्रश्न संख्या –अ0सू0–08 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि नीति आयोग के अध्ययन एवं आकलन रिपोर्ट के अनुसार झारखण्ड में प्रति एक हजार की आबादी में मात्र 0.13 (जिरो दशमलव 13) डॉक्टर, 0.59 (जिरो दशमलव 59) बेड ही उपलब्ध है ;	आंशिक स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि पूरे देश में मेडिकल की पढ़ाई के लिए उपलब्ध 57 हजार सीटों में मात्र 3 सौ सीट ही झारखण्ड में है ;	स्वीकारात्मक।
3.	क्या यह बात सही है कि स्वास्थ्य सुविधा के दृष्टिकोण से देश के तीन सबसे पिछड़े राज्यों में झारखण्ड शामिल है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। स्वास्थ्य सेवाओं को सुधार करने के लिए झारखण्ड राज्य अन्तर्गत देवघर जिला के देवीपुर प्रखण्ड में PMSSY योजनान्तर्गत AIIMS Super Speciality Hospital स्थापित किया जा रहा है। इस हेतु राज्य सरकार द्वारा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार को 236.92 एकड़ भूमि देवघर के देवीपुर अंचल में स्थानान्तरित कर दिया गया है। साथ ही केन्द्र प्रायोजित योजनान्तर्गत दुमका, पलामू एवं हजारीबाग में 100–100 एम0बी0बी0एस0 सीट वाले मेडिकल कॉलेज स्थापित किया जा रहा है। जिसके लिए चिकित्सा महाविद्यालयों में आवश्यक पदों का सृजन किया जा चुका है। सत्र 2018–19 से एम0बी0बी0एस0 कोर्स की पढ़ाई प्रारम्भ किये जाने हेतु एम0सी0आई0 को आवेदन दिया गया है। इसके अतिरिक्त केन्द्र प्रायोजित योजना के तहत चाईबासा, बोकारो एवं कोडरमा जिला के अन्तर्गत कार्यरत जिला/ रेफरल अस्पताल से संबद्ध कर नये चिकित्सा महाविद्यालयों का स्थापना करने का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया है। रांची सदर अस्पताल में रू 307.92 करोड़ की लागत पर राज्य योजना से 500 बेड का नया भवन निर्माणाधीन है, जिसमें से 200 बेड मातृ एवं शिशु स्वा0 केन्द्र संचालित कर दिया गया है। शेष का परिचालन 2018–19 में किया जायेगा तथा सरायकेला–खरसावां जिला में 500 बेड वाले अस्पताल का निर्माण कराया जा रहा है। हजारीबाग, पलामू एवं दुमका में स्थापित किए जा रहे मेडिकल कॉलेज के साथ संबद्ध 500–500 बेड का अस्पताल का निर्माण रू0 1475.02 करोड़ पर किया जाएगा।

		महात्मा गाँधी स्मारक चिकित्सा महाविद्यालय, जमशेदपुर परिसर में 500 शय्याबाला अस्पताल भवन का निर्माण रु0 429.29 करोड़ की लागत पर किया जाएगा।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार स्वास्थ्य सुविधा में सुधार हेतु क्या उपाय करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए निम्नांकित कार्रवाई की गयी है – मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना 15 नवम्बर 2017 से लागू किया गया है इसके अन्तर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (National Food Security Act) से आच्छादित राज्य के 57 लाख परिवार (कुल जनसंख्या का 80%) लाभान्वित होंगे । लाभान्वित परिवारों को निम्न रुपेण स्वास्थ्य बीमा प्राप्त होगा– – सेकेन्डरी (Secondary) स्वास्थ्य सेवा (746 पैकेज) – रु0 50,000/- – वरिष्ठ नागरिकों को अतिरिक्त लाभ – रु0 30,000/- – टरशियरी (Tertiary) स्वास्थ्य सेवा (लगभग 234 पैकेज) – रु0 2,00,000 /- इस योजना के लिए नेशनल ईन्सोरेन्स कंपनी का चयन कर लिया गया है एवं अस्पतालों का चिह्नितिकरण (empanellment) एवं लाभार्थियों को हेल्थ कार्ड का वितरण प्रक्रिया अन्तर्गत है। "108" एम्बुलेंस सेवा प्रारंभ की गई है, जो चौबीसों घण्टे आपत परिस्थियों के लिए 108 कॉल सेन्टर से संचालित है। अबतक 65 सुसज्जित एम्बुलेंसों का परिचालन कर दिया गया है, तथा जनवरी 2018 तक कुल 106 एम्बुलेन्स हाइवे तथा अलग–अलग जिलों में रखे जाएँगे तथा मार्च 2018 तक 329 एम्बुलेन्स उपलब्ध हो जाएँगे । मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना के अन्तर्गत 72 हजार वार्षिक आय तक के परिवारों को 115 बीमारियों के लिए 2.50 लाख रुपए तक एवं किडनी प्रत्यारोपण हेतु 5.00 लाख रुपए एवं कैन्सर उपचार हेतु 4.00 लाख रुपए तक की चिकित्सा सहायता राज्य एवं राज्य के बाहर 72 चयनित अस्पतालों में सी0जी0एच0एस0 दर पर ईलाज की सुविधा दी जा रही है। वर्ष 2016–17 में 60 सीट एवं वर्ष 2017–18 में 100 सीट के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य विषय पर त्रि–वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम की पढ़ाई प्रारंभ किया गया है। शिशु मृत्यु दर में कमी लाने हेतु नवजात शिशुओं को विशेष चिकित्सा सेवा प्रदान करने के लिए विशेष नवजात देखभाल केन्द्र (SNCU) की स्थापना किया जा रहा है। वर्ष 2017–18 में 13 स्थानों : लातेहार, पलामू, सिमडेगा, बोकारो, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, दुमका, गोड्डा, जामताड़ा, देवघर, पाकुड़, एवं राजमहल में SNCU की स्थापना की गई है। पूर्व से 5 स्थानों : गुमला, चाईबासा, राँची–रिम्स, धनबाद–पाटलीपुत्र मेडिकल कॉलेज एवं

		घाटशिला में कार्यरत है। रांची में पी०पी०पी० आधार पर कैन्सर संस्थान की स्थापना प्रस्तावित है एवं पी०पी०पी० आधार पर मेडिकोसिटी की स्थापना रांची के इटकी में की जा रही है। इसके तहत पी०पी०पी० आधार पर मेडिकल कॉलेज/सुपरस्पेशियलिटी अस्पताल/नर्सिंग कॉलेज की स्थापना प्रस्तावित है।

झारखंड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं० : 9/विधायी–06-02/18 - 31(9) रांची, दिनांक– 18/1/18

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, रांची को उनके ज्ञाप संख्या प्र०–298 दिनांक–12–01–18 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18.1.18

सरकार के अवर सचिव